रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 410] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 15, 1972/भाद्र 24, 1894
No. 410] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 15, 1972/BHADRA 24, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Stock Exchange Division)
NOTIFICATION
New Delhi, the 14th September 1972

S.O. 598(E).—The Central Government, having considered the application for renewal of recognition made under section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) read with rule 7 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, by the Ahmedabad Share and Stock Brokers' Association, Ahmedabad (hereinafter referred to as the Exchange) and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 of the said Act, recognition to the Exchange, under section 4 of the said Act, for a further period of five years commencing on the 16th September, 1972, and ending with the 15th September, 1977, in respect of contracts in securities, subject to the conditions stated herein below and such other conditions as may be prescribed or imposed hereafter:

Conditions

(1) The rules of the Exchange shall be suitably amended to give effect to the following, namely:—

(a) the President and Vice-President of the Exchange shall be nominated by the Central Government from among those elected as members of the governing board through the normal process of the rules of the Exchange;

(b) the power of governing board of the Exchange to constitute committees, sub-committees and standing committees shall be restricted to those which do not overlap the functioning of the Executive Director, namely, Arbitration Committee and Defaulters' Committee and that any other committee, sub-committee or standing committee may be constituted by the governing board only with the previous approval of the Central Government; and

(c) the Executive Director shall have exclusive powers in matters which concern disciplining of trading and the members' activities including enforcement of rules, bye-laws and regulations of the Exchange in such matters.

(2) The rules of the Exchange shall be amended for the purposes aforesaid as early as possible but in no case later than a period of one year from the 16th September, 1972.

[No. F.1/12/SE/72.]

R. M. BHANDARI, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(शेयर बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1972

का० आ० 598 (अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिभूति संविदा (विनियमन), नियमावली, 1957 के नियम 7 के साथ पठित, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42 वां) की धारा 3 के अन्तर्गत अहमदाबाद शेयर एण्ड स्टाक ब्रोकर्स एसोसिएशन, अहमदाबाद (जिसे बाद में ऐक्सचेंज कहा गया है) द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिये दिये गये आवेदन-पत्र पर विचार करने और इस बात की तसल्ली कर लेने के बाद कि ऐसा करना व्यापार तथा लोक हित में होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत एक्सचेंज को 16 सितम्बर, 1972 से शुरू होने वाली और 15 सितम्बर, 1977 को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अग्रेतर अवधि के लिये, प्रतिभूतियों के संविदाओं के सम्बन्ध में नीचे दी गई शर्तों और एतद् पश्चात् निर्धारित की जाने वाली अथवा लगायी जाने वाली शर्तों के साथ मान्यता प्रदान करती है :

शर्तें

(1) एक्सचेंज के नियमों को समन्वित रूप से संशोधित किया जायगा ताकि निम्नलिखित को कार्य-रूप दिया जा सके, अर्थात् :—

(क) एक्सचेंज के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को केन्द्रीय सरकार द्वारा, एक्सचेंज के नियमों की सामान्य प्रक्रिया द्वारा चुने गये शासी मण्डल के सदस्यों में से नामजद किया जायगा ;

(ख) एक्सचेंज के शासी मण्डल की समितियां, उप-समितियां और स्थायी समितियां गठित करने की शक्ति उन समितियों तक सीमित होगी जिनका काम कार्यकारी निदेशक के कार्यों से मिलता हुआ न हो जैसे मध्यस्थता समिति और बाकीदार समिति और शासी मण्डल द्वारा किसी अन्य समिति, उप-समिति अथवा स्थायी समिति का गठन केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से ही किया जायगा ; और

(ग) कार्यकारी निदेशक को उन मामलों में, जिनका सम्बन्ध व्यापार को अनुशासित करने और सदस्यों की गतिविधियों से हो, जिन में इन मामलों में एक्सचेंज के नियमों, उप-नियमों और विनियमों का लागू किया जाना शामिल है, अनन्य शक्तियां प्राप्त होंगी ।

(2) उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये एक्सचेंज के नियमों में यथासम्भव शीघ्र संशोधन कर दिये जायेंगे जो हर हालत में 16 सितम्बर, 1972 से लेकर एक वर्ष तक की अवधि के अन्दर-अन्दर कर दिये जायेंगे ।

[सं० एफ० 1/12/एस० ई०/72]

रणजीत मल भण्डारी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972